प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-41/2016-17

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या ..... वर्ष .....

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, **देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, **देहरादून** के माह 01/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविंद कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 07.07.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर0 के0 जोगी एवं संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियो द्वारा दिनांक 18.01.2016 से 29.01.2016 तक श्री रणवीर सिंह व0 लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें **राजस्व हेतु** माह 04/2013 से 12/2015 तक **एवं व्यय हेतु** माह 04/2013 से 12/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **राजस्व हेतु** माह 01/2016 से 03/2017 तक **एवं व्यय हेतु** माह 01/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः संर क्षत क्षेत्र (हाथी एवं बाघ का संरक्षण) एवं शवा लक क्षेत्र

(ii) (अ) राजस्व का विवरणः विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	129.85
2015-16	155.54
2016-17	152.48

(ii)(ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना	गैर स्थापना	आ धक्य	बचत

	स्थापना (`)	गैर स्थापना (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	आवंटन (`)	व्यय (`)	(+) `	(-) `
2014-15	---	---	1175.84	1175.84	1883.95	1883.95	---	-----
2015-16	----	----	1232.20	1232.20	3364.69	3364.69	----	---
2016-17	-----	-----	1255.56	1255.56	1007.11	1007.11	-----	----

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	बचत	अ धक्य
2015-16	प्रोजेक्ट	------	87.11	87.01	0.10	----
2016-17	ए लफ़ेंट	-----	194.63	185.70	8.93	---
2015-16	प्रोजेक्ट	-----	353.97	302.30	51.67	---
2016-17	टाईगर	-----	182.89	182.85	0.04	----

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, **देहरादून** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, **देहरादून** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- **(**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 02/2017 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 02/2017 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयनः यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------..... ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो अ

प्रस्तर 01 :- वभाग एवं शासन की उदासीनता के कारण ₹ 4.39 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना।

कृ ष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पत्रांक 3-50/81- एफ आर वाई (सकाण्ड) द्वारा दिनांक 4-9-1981 को वन संरक्षण अ धनियम की धारा 2 के अंतर्गत शवा लक वन प्रभाग के 4.2 एकड़ वन भू म लीज पर कए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। भारत सरकार के उपरोक्त आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग -3 द्वारा अपने पत्रांक 5266(1)/14-13-656/75 दिनांक 23.02.1983 द्वारा भू म को नगर पा लका हरिद्वार को 30 वर्षो पर लीज पर दी गयी। शवा लक वृत्त के अंतर्गत शवा लक वन प्रभाग के हरिद्वार रेंज द्वारा उक्त भू म पर रोपवे निर्माण हेतु नगरपा लका परिषद हरिद्वार को दिनांक 08-06-1978 में हस्तांतरित कया गया था।
उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 156/I-1-2005-500(826)/2002 दिनांक 09.12.2005 के बिन्दु सं03.1.4 के अनुसार लीजों के नवीनीकरण के लए वन भू म का मूल्य (प्री मयम) =जिला धकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज अव ध / 99 के आधार पर निर्धारित कया जाना है। उक्त शासनादेश के बिन्दु 3.3.3 के अनुसार लीज पर उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 3.3.3 के अनुसार लीज पर की गयी ऐसी वन भू म जिसके लीज धारक द्वारा वन भू म का स्वयं उपयोग न करके कसी अन्य व्यक्ति को वक्रय कर दिया गया है अथवा कन्ही अनुबन्धो के अंतर्गत सबलेट/हस्तांतरित कया गया है, ऐसी लीज को नवीनीकृत नहीं कया जाएगा तथा वन वभाग/राजस्व द्वारा वन भू म को खाली करवाकर अपने कब्जे में लया जाएगा।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहारादून के अ भलेखो की जांच में पाया गया क लीज अव ध 13.02.2008 को समाप्त हो जाने के बाद उप निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क द्वारा अपने पत्रांक 393/1-13(8) दिनांक 02-09-2011 एवं 138/12-1(2) दिनांक 18-07-2012 से अ धशाषी अ धकारी, नगर पा लका परिषद हरिद्वार को लीज अव ध समाप्त होने के कारण प्रश्नगत भू म का रोपवे के रूप में उपयोग वन्य जीव संरक्षण (अ धनियम), 1972 एवं वन संरक्षण अ धनियम 1980 के क्रम में अवैधानिक मानते हुए भू म का कब्जा वन क्षेत्रा धकारी हरिद्वार को सौपने हेतु निर्दे शत कया गया। उक्त के क्रम में रोपवे संचालक उषा ब्रेकों ल0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखंड वाद स0 1643/2012 (M/s उषा ब्रेको कंपनी व अन्य बनाम राज्य ई अन्य) योजित कया गया। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 04-08-2012 को दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत निर्णय दिया गया " Since there was option for the Municipal Board to seek extension of lease and the impugned order has been passed respondent no. 4 without giving opportunity of hearing to the petitioner and without taking decision on the application dated 28.10.2010 for renewal, therefore, in the interest of Justice it would be proper to give

direction to the Principal Secretary Forest and Environment, Department Dehradun to take decision on the matter after hearing the parties, whether the agreement/Lease, which was made by Municipal Board in favour of the petitioner, can be extended for a further period or not. The decision in the matter shall be taken by the Principal Secretary, expeditiously as far as possible. Till the decision is taken by the Principal Secretary, the parties are directed to maintain the status quo regarding of running of ropeway.

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 156/I-1-2005-500(826)/2002 दिनांक 09.12.2005 के अनुसार लीजों के नवीनीकरण के लए वन भू म का मूल्य (प्री मयम) =जिला धकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज अव ध /99 के आधार पर निर्धारित कया जाना है।

शवा लक वृत्त के हरिद्वार रेंज (राजाजी टाईगर रिसर्व देहारादून) द्वारा 4.23 एकड़ अर्थात 169200 व0 मी0 वन भू म नगर निगम हरिद्वार को 30 वर्ष की लीज पर दी गयी थी जिसे नगर निगम, हरिद्वार द्वारा उक्त भू म उषा ब्रेकों ल से रोपवे लगाने हेतु अनुबंध करके दे दिया गया था जिसकी अव ध दिनांक 13-02-2008 को समाप्त हो गयी। लीज का नवीनीकरण 30 वर्ष पश्चात नहीं कराया गया एवं नगर निगम, हरिद्वार द्वारा उक्त भू म का स्वयं उपयोग न करके अन्य प्रा0 संस्था को अनुबंध करके दिया गया था।

अतः उपरोक्त शासनादेश के अनुसार उक्त भू म की नवीनीकरण पर देय प्री मयम एवं कराए की धनरा श वर्ष 2008 में निम्नानुसार देय थी-

वन भूमि का मुल्य (प्रीमियम) =जिला धकारी द्वारा निर्धारित मूल्य **X** लीज अव ध /99

वन भूमि का मुल्य (प्रीमियम)= ₹ 5900x16920 व0 मी0 X 30 yrs /99 = ₹ 3,02,50,909

प्री मयम मूल्य का 5 प्रतिशत ₹ 15,**12,545** वा र्षक (₹ 3,**02,50,909 x** 5%) कराया देय था। (उपरोक्त प्री मयम एवं कराया का निर्धारण व्यावसायिक दर 5900 प्रति व0 मी0 पर कया गया है।) इस प्रकार ₹ 3,**02,50,909** प्री मयम एवं ₹1,36,12,909/- कराया (वर्ष 2008 से दिनांक 13.02.2017 तक**=09** वर्ष) नगर निगम द्वारा नवीनीकरण के देय थे। वर्ष 2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश के बाद 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी वभाग एवं शासन द्वारा लीज के निरस्त अथवा नवीनीकरण का कोई निर्णय न कए जाने से ₹ 3,02,50,909 +₹ 1,**36,12,909** (₹15,**12,545 x** 9 वर्ष) = ₹ 4,**38,63,818** राजस्व की वसूली नहीं हो सकी है।

उक्त को इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय से आच्छादित है तथा मुख्य स चव उत्तराखंड द्वारा निर्णय लया जाना है, प्रकरण शासन स्तर पर गतिमान है। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश में त्वरित निर्णय की अपेक्षा की गयी थी तथापि लगभग पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद विभाग एवं शासन के निर्णय लए जाने के कारण ₹ 4.39 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

<u>प्रस्तर 01 :- वन भू म ₹ 32.92 करोड़ की अतिक्र मत होना।</u>

वन संरक्षण अ धनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1980 के बाद के अवैध कब्जे वाली वन भू म को अवैध समझा जाना चाहिए और उन्हे वनिय मत नहीं कया जा सकता है। प्रस्तर 3.1 का अनुसार 24.10.1980 कए गए अवैध कब्जे को कसी भी हालत में वनिय मत नहीं कया जाना चाहिए तथा अवैध कब्जे करने वालो को बेदखली करने के लए कार्यवाही की जानी चाहिए।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहारादून के अ भलेखो की जांच में पाया गया क वन संरक्षण अ धनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्र मत वन भू म को प्रभाग द्वारा तत्काल बेदखल करते हुए कब्जे मे नहीं लया गया था एवं वभागीय स्तर पर कार्यवाही रही थी। जिसका ववरण निम्नवत था।

क्र0 सं0	राजि का नाम	वर्ष	अतिक्र मत भू म का क्षेत्रफल (हे0 मे)
01	हरिद्वार	2003 से पूर्व	0.97
02	हरिद्वार	2003 से पूर्व	0.20
03	हरिद्वार	2003 से पूर्व	1.60
04	हरिद्वार	2003 से पूर्व	0.10
05	हरिद्वार	2014	0.00161
06	हरिद्वार	2014	0.154
07	हरिद्वार	2003 से पूर्व	0.2093
08	हरिद्वार	2003 से पूर्व	0.0574
योग			3.29231

उपरोक्त अतिक्र मत वन भू म का जिला धकारी हरिद्वार द्वारा निर्गत स र्कल दर सूची संख्या 01-2016/XXVII(9) स्टांप 80/2009 दिनांक 02 जनवरी 2016 के अनुसार नगरीय, अर्ध नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो की भू म का न्यूनतम स र्कल दरो के अनुसार कुल 3.29231 हेक्ट. X 10,000= 32923 व0 मी0 का ₹ 10,000 प्रति व0मी0 के अनुसार 32923 x ₹ 10,000= ₹ 32,92,31,000 की वन भू म अतिक्र मत थी।

उक्त को इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया की अतिक्रमण से खाली कराने की कार्यवाही प्रभाग द्वारा गतिमान है।

अतः ₹ 32.92 करोड़ की अतिक्र मत वन भू म का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

राजस्व वसूल न किया जाना ₹ 3.86 लाख

कार्यालय की माह 2017 की त्रैमा सक 21 प्रपत्र की सूचना के प्रपत्र 10 (वन निगम से संबन्धित मामले) के अनुसार निगम के वरूध्द ₹19,04,760 की धनरा श बकाया थी।

उक्त के संबंध में इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया की उक्त धनरा श में से ₹ 18,51,469 उ0प्र0 शासन के समय से लंबित है। वर्ष 2014-15 में दो लाटो का आबंटन वन निगम को किया गया था जिसके सापेक्ष वन निगम द्वारा कुल ₹ 12,21, 832 जब क त्याग पत्र के अनुसार ₹ 16,08,471 जमा किया जाना था। इस प्रकार ₹ 3,86,634 (₹16,08,471 - ₹ 12,21, 832) एवं 61.15 घन मीटर जालौनी लकड़ी पर देय धनरा श वसूल किया जाना अवशेष था।

अतः ₹ 3,86,634 एवं जालौनी लकड़ी (61.15 घन मीटर) पर देय धनरा श वसूल कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1 लेंटाना उन्मूलन कार्य लगातार तीन वर्षो तक नहीं कए जाने के कारण ₹ 87.39 लाख का निष्फल व्यय।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के अ भलेखों की लेखापरीक्षा (July 2017) के दौरान पाया गया क लेंटाना झा ड़यो से प्रभा वत क्षेत्र को लेंटाना उन्मूलन करने हेतु हाथी परियोजना, 13 वे वत्त आयोग, कैम्पा, राज्य योजना एवं अन्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमश: 1149, 1021, 272 तथा 498 हेक्ट0 में प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन व उपचार कार्य हेतु ₹ 70.38 लाख, ₹ 93.19 लाख, ₹ 27.24 लाख तथा ₹ 49.86 लाख का व्यय कया गया। कार्य का ववरण निम्न ल खत है।

वर्ष		लेंटाना उन्मूलन (हेक्ट, में)	व्यय की गई धनरा श (₹ लाख में)	औसत व्यय	निष्फल व्यय (₹ में)
(1)		(2)	(3)	(4)	(2x4)
2013-14 2014-15	प्रथम वर्ष द् वतीय वर्ष	1149 645	70.38 12.89	6125	
	अंतर	504		6125	308700
2014-15 2015-16	प्रथम वर्ष द् वतीय वर्ष	1021 506	93.19	9127	
	अंतर	515		9127	4700405
2015-16 2016-17	प्रथम वर्ष द् वतीय वर्ष	272 238	27.24	10014	
	अंतर	34		10014	340476
2014-15 2015-16	द् वतीय वर्ष तृतीय वर्ष	645 624	12.89	1998	
	अंतर	21		1998	41958
2015-16 2016-17	द् वतीय वर्ष तृतीय वर्ष	506 225	10.12	2000	
	अंतर	281		2000	562000
योग					87,**31,839**

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है, लेंटाना प्रभा वत क्षेत्र में उन्मूलन संबंधी उपचार लगातार तीन वर्षो तक कया जाना था ता क प्रथम वर्ष का उपचार कए गए क्षेत्रों में दूसरे व तीसरे वर्ष भी उन्मूलन/उपचार कर फर से लेंटाना उगाने की संभावना को समाप्त कया जाए। लेंटाना

उन्मूलन पर लगातार तीन वर्ष तक उन्मूलन/उपचार न कए जाने से कुल ₹ 87,31,839 का व्यय निष्फल हुआ।

उक्त को इं गत कए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क APO में प्रस्ताव प्रे षत कया गया परंतु धनरा श आबंटन न होने के कारण समस्त क्षेत्र में कार्य नहीं कया जा सका।

उत्तर मान्य नहीं था क्यों क लेंटाना उन्मूलन का कार्य लगातार तीन वर्षों तक किया जाना चाहिए था। इस प्रकार तीन वर्षों तक लगातार लेंटाना उन्मूलन संबंधी कार्यवाही/उपचार न कए जाने से ₹ 87.32 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो अ

प्रस्तर 02- अनियमित व्यय ₹ 2.46 करोड़

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा जनवरी 2016 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 01/2016 से 03/2017 तक 2,46,28,607 का भुगतान किया गया है। मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस से अनुबंन्ध बिना निविदा के आमंत्रण पर कर लिया गया थी। जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व कान्ट्रैक्ट करने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। आगे जांच में यह पाया गया कि सेवा शुल्क 7 प्रतिशत विभाग द्वारा एजेन्सी को दिया जा रहा है जो कि अधिक है। इस प्रकार सेवा शुल्क के रूप अधिक धनरा श का व्यय किया जा रहा है एवं नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹ 2,46,28,607 का अनियमित व्यय किया गया है।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों के निर्देषानुसार कार्य किया गया। यह पूछे जाने पर कि उपरोक्त स्टाफ कार्यालय में स्वीकृत पदो के सापेक्ष तैनात किया गया है एवं स्टाफ को भुगतान किये गये न्यूनतम मजदूरी, कुल पारिश्रमिक पर ई0पी0एफ0 25.36 प्रतिशत, ई0एस0आई0 6.50 प्रतिषत की धनरा श सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में एजेन्सी द्वारा जमा कराया जा रहा है, को किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है के संबंध में अवगत कराया गया कि उपयुक्त दस्तावेज प्राप्त कर उपलब्ध करा दिए जाऐगें।

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रौक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था अतः ₹ 2.46 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया था।

प्रकरण षासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 01- केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए केन्द्रीय सहायता की राशि का अनियमित व्यय ` 42.08 लाख.

भारत सरकार के दिशा–निर्देश (नवम्बर 2016) के अनुसार नमामि गंगे (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना) से संबंधित कोई भी कार्य करने वाले कार्मिकों/मजदूरों को किये जाने वाला समस्त भुगतान केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही किया जाना था। इसके लिए, मजदूरों के बैंक में खाते खोलने के लिए विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये। इन निर्देशों को परियोजना निदेशक, फॉरेस्ट्री इन्टरवेंशन्स फॉर गंगा (नमामि गंगे) द्वारा पूर्ण अनुपालन के लिए वन विभाग के समस्त ऐसे कार्यालयों/अधिकारियों को प्रेषित किया गया जहां नमामि गंगे के अंतर्गत कार्य संपादित किये जा रहे थे।

निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2017) में पाया गया कि नमामि गंगे के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कार्यालय द्वारा कुल ` 45.19 लाख का व्यय किया गया जिसमें से ` 42.08 लाख का व्यय श्रम शक्ति पर किया गया था। तथापि, उक्त कार्य जिन ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया उन पर ऐसी कोई भी शर्त नहीं आरोपित की गयी कि वे अपने मजदूरों को भुगतान केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही करें। अतः, उक्त शर्त के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मजदूरों को ` 42.08 लाख का भुगतान केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही किया गया है।

उपरोक्त तथ्य इंगित किये जाने पर निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदारों को भुगतान चैक एवं आर टी जी एस के माध्यम से किया गया। तथापि, ठेकेदारों को चैक एवं आर टी जी एस के माध्यम से भुगतान करने से यह सिद्ध नहीं होता कि मजदूरों को भुगतान इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से किया गया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए केन्द्रीय सहायता की राशि ` 42.08 **लाख** के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 02-अः अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए ` 36.98 लाख मूल्य के कार्य को टुकड़ों में बांटकर किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 42. (1) के अनुसार A group of works which forms one project shall be considered one work, and technical, administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority.

निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2017) में पाया गया कि नमामि गंगे के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में कार्यालय द्वारा शेरुखाला नाले एवं कालाचौड़ नाले में चेक डैम के कार्यों को क्रमशः 8 एवं 7 टुकड़ों में बांटकर संपादित किया गया ताकि प्रत्येक टुकड़े की वित्तीय अनुमोदन की सीमा ` 3.0 लाख से कम रह सके जो कि निदेशक के अनुमोदन अधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 15 टुकड़ों में बांटकर संपादित किये गये कार्य पर ठेकेदारों को कुल ` 36.98 लाख का भुगतान किया गया जो कि उक्त नियम के विपरीत था।

उपरोक्त तथ्य इंगित किये जाने पर निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य को संपादित किया गया। तथापि, निविदा प्रपत्रों से स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य को अनावश्यक रूप से टुकड़ों में विभाजित किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था।

अतः, अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लंघन में **36.98 लाख मूल्य के कार्य को टुकड़ों में बांटकर** संपादित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 03- अ धप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए 72.00 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 42. (1) के अनुसार A group of works which forms one project shall be considered one work, and technical, administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority.

कार्यालय निदेशक राजाजी टाइगर रिसर्व, देहारादून के अ भलेखो क जांच में पाया गया क कैम्पा परियोजना के अंतर्गत रामगढ़ रेंज के अंतर्गत निम्न ल खत मरम्मत/ निर्माण कार्यो को टुकड़ो में वभाजित करके कया गया है।

कार्य का नाम	जाब संख्या	स्वीकृत धनरा श (₹ में)	व्यय धनरा श (₹ में)
टर्नर वन मोटर मार्ग की वशेष मरम्मत	19-30	3**,00,000** प्रति जाब कुल 12**x3,00,000=**36**,00,000**	36**,00,000**
दू धया चौकी से रामगढ़ रेंज मार्ग की वशेष मरम्मत	31-37	3**,00,000** प्रति जाब कुल 7**x3,00,000=** 21**,00,000**	21**,00,000**
रामगढ़ रेंज से क्लेमेंटटाउन मलन तक वन मार्ग की वशेष मरम्मत	38-42	3**,00,000** प्रति जाब कुल 5**x3,00,000= 15,00,000**	15**,00,000**
		योग	72**,00,000**

उपरोक्त ववरण से स्पष्ट है क उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावाली एवं मुख्यालय के निर्देश के वपरीत कार्यो को टुकड़ो में वभाजित करके कराया गया है।

उक्त को इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क प्रश्नगत कार्य वन मार्ग से संबन्धित है तथा मार्ग को जाब वाइज़ बनाकर कार्य कराया गया है। वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड देहारादून के स्थायी आदेश स0 18/**PA/13** दिनांक 22-10-2013 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार एक ही कार्य को टुकड़ो-टुकड़ो में वभाजित न करते हुए वानिकी एवं निर्माण कार्यो की एक ही डी0पी0आर0 तैयार की जाए तथा वानिकी एवं निर्माण कार्यो के अलग-अलग आगणन/प्राक्कलन तैयार कया जाय। तथा इनकी स्वीकृति लो0नि0 व0/अ भयांत्रिकी वभाग के सक्षम अ धकारियों से करवाने के बाद शासन से टी0 ए0 सी0 की स्वीकृति/प्रशासनिक व वत्तीय स्वीकृति प्राप्त कर नि वदा द्वारा कार्य संपादित कया जाए। अतः उपरोक्त नियमो/आदेशो का अनुपालन न कर कार्य करवाए जाने से ₹ 72.00 लाख का अनिय मत व्यय कया गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**III**

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

<u>राजस्व से संबं धत</u> वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

व्यय से संबं धत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
11/2011-12	1	-
179/2015-16	1,2	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कोई प्रस्तर निस्तारित नही कया गया है। (अनुपालन आख्या उपलब्ध नही करायी गयी)				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, **देहरादून** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
   (i)
   (ii)
   (iii)
2. सतत् अनिय मतताएः (राजस्व एवं व्यय से संबं धत अलग अलग दर्शाएँ)

(i)
(ii)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती मीना अग्रवाल	निदेशक/मुख्य वन संरक्षक
(ii)	श्री सनातन	निदेशक/मुख्य वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।